संख्या: 5/2019/160/छप्पन-2019-100/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2019

विषय: बरेली एयरपोर्ट पर सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 253/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 07 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद बरेली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए गाटा संख्या- 504 व 491 की भूमि के क्रय हेतु रु0 2,20,52,000/- (रुपए दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद बरेली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए गाटा संख्या- 504 व 491 की भूमि के क्रय हेतु रु0 2,20,52,000/- (रुपए दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रु0 2,20,52,000/- (रुपए दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है |
III. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |
IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।
V. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |
VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पी0एफ़0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन हो |

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 2,20,52,000/- (रुपए दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, बरेली के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को यथासमय आख्या उपलब्ध कराई जायेगी |

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 40/दस-2019, दिनांक 16 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 5/2019/160(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, बरेली।
(4) जिलाधिकारी, बरेली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।